राजस्थान सरकार
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
शासन सचिवालय,जयपुर

क्रमांकः प.5(7)ज. स्वा. अभि./2015/विविध

जयपुर, दिनांकः 23 FEB 2022

'परिपत्र'

इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी पत्र क्रमांक प.5(120)जन स्वा.अ.वि./94, जयपुर दिनांक 06.07.1994 द्वारा वादकरण से सम्बन्धित विभागीय प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति, जवाब दावों के अनुमोदन एवं न्यायिक आदेश/निर्णय के विरूद्ध अपील दायर किये जाने के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देश, वर्तमान में राज्य वादकरण नीति–2018 एवं विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा जारी परिपत्रादेशों के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक नहीं रहे हैं।

अतः उक्त सम्बन्ध में वर्तमान में निर्धारित विधिक प्रक्रियानुसार, निम्नवत् निर्देशित किया जाता हैः–

(1) **प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में :–** प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में राज्य वादकरण नीति–2018 के बिन्दु संख्या 7.1 में यह प्रावधानित है कि प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष द्वारा ही की जा सकेगी। चूँकि विभाग में कुछ न्यायिक मामलों में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति अधीक्षण अभियंता स्तर से भी की जा रही है, अतः उक्त संबंध में यह निर्देशित किया जाता है कि वादकरण संबंधी सभी मामलों में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति, मुख्य अभियंता के अनुमोदन उपरान्त, जयपुर/जोधपुर मुख्यालय में पदस्थापित विधि सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा की जावे, ताकि प्रत्येक न्यायिक प्रकरण की पत्रावली सदैव विधि प्रकोष्ठ में उपलब्ध रहे एवं न्यायिक प्रकरणों की प्रभावी ढंग से मॉनीटरिंग की जा सके।

(2) **जवाबदावे के अनुमोदन के सम्बन्ध में :–** जवाबदावे के अनुमोदन के सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 15(14)राज/वाद/2001, दिनांक 03.11.2001 में यह प्रावधानित है कि विभाग के विरूद्ध दायर न्यायिक प्रकरणों में जवाबदावों का अनुमोदन विभागाध्यक्ष स्तर पर पदस्थपित विधि सेवा के सहायक विधि परामर्शी अथवा उससे उच्चतर पद के विधि अधिकारी द्वारा ही किया जावेगा। यदि विभागाध्यक्ष स्तर पर विधि सेवा के उक्त स्तर के अधिकारी पदस्थापित नहीं हैं, तो प्रशासनिक विभाग में कार्यरत सहायक विधि परामर्शी अथवा उससे उच्च स्तर के विधि अधिकारी द्वारा किया जावेगा तथा प्रशासनिक विभाग में भी विधि सेवा के उक्त स्तर के अधिकारी पदस्थापित नहीं होने की स्थिति में जवाब का अनुमोदन विभाग के उप सचिव द्वारा विभागीय सचिव से कराया जावेगा। महा अधिवक्ता एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा

23/02/2022

तैयार जवाब के अनुमोदन करने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु उक्त मामलों में प्रभारी अधिकारी द्वारा तथ्यों का सत्यापन किया जाना आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जावे।

चूंकि विभाग में कुछ जवाबदावों का अनुमोदन अधीक्षण अभियंता स्तर से भी किया जा रहा है, अतः उक्त सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि विभाग से सम्बन्धित समस्त जवाब दावों का अनुमोदन विधि विभाग द्वारा निर्धारित उक्त व्यवस्था के अनुसार ही किया जावे।

(3) **अपील दायर किये जाने के सम्बन्ध में :–** अपील दायर किये जाने के सम्बन्ध में राज्य वादकरण नीति–2018 के बिन्दु संख्या–10 एवं विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा जारी वादकरण से सम्बन्धित समेकित परिपत्रादेश के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण एवं राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णयों के विरूद्ध याचिका/अपील दायर करने अथवा न करने का निर्णय, प्रशासनिक विभाग के सचिव/प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित स्थायी समिति द्वारा लिया जाता है। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालय, न्यायाधिकरण इत्यादि द्वारा जारी आदेश/अवार्ड/निर्णयों को चुनौती दिये जाने की शक्ति प्रशासनिक विभाग में एवं चुनौती न देने का अन्तिम निर्णय लेने की शक्ति विधि विभाग में निहित है।

अतः उक्त सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक न्यायिक प्रकरण में उपरोक्त स्थापित विधिक प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जावे। प्रशासनिक विभाग को भेजी जाने वाली पत्रावलियों में न्यायिक आदेश/अवार्ड/निर्णय इत्यादि को आगे चुनौती देने अथवा न देने के आधारों का पृथक से उल्लेख करते हुए, सम्बन्धित राजकीय अधिवक्ता एवं प्रभारी अधिकारी की राय के साथ, मुख्यालय की स्पष्ट अनुशंषा प्रेषित की जावे।

यह भी देखने में आया है कि जयपुर एवं जोधपुर स्थित विभिन्न न्यायाधिकरण/न्यायालयों में दायर अन्य जिलों से सम्बन्धित प्रकरणों में, दूरस्त जिलों में पदस्थापित अधिकारियों को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया हुआ है, जिसके कारण प्रत्येक पेशी पर प्रभारी अधिकारी की न्यायालय में उपस्थिति सम्भव नहीं होती एवं न्यायिक प्रकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के साथ ही राजकोष पर भी अनावश्यक वित्तीय भार पड़ता है। अतः जयपुर एवं जोधपुर में वर्तमान में लम्बित समस्त न्यायिक प्रकरणों में तथा भविष्य में दायर होने वाले प्रत्येक न्यायिक प्रकरण में, प्रभारी अधिकारी

23/02/2022

क्रमशः जयपुर/जोधपुर में पदस्थापित अधिकारीगण को ही यथासंभव बनाया जावे। यदि आवश्यक समझा जावे तो, तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त करने की सुविधा हेतु, प्रकरण से सम्बन्धित जिले में पदस्थापित अधिकारी को, अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है।

उपरोक्त दिशा–निर्देशों की प्रत्येक न्यायिक प्रकरण में आवश्यक रूप से अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित की जावे।

Sudhanshu Pant
23/2

(सुधांश पंत)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. मुख्य अभियंता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर उक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड़ करावें एवं सम्बन्धित सभी अधिकारीगण को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
2. मुख्य अभियंता (परियोजना), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर।
3. मुख्य अभियंता, भू–जल विभाग, जोधपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

23/02/2022

(जितेन्द्र सिंह)
उप विधि परामर्शी